न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 149/2016

अशोक कुमार पुत्र रामप्रकाश जाति चमार निवासी वार्ड नम्बर 45 रविदास नगर श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. जसविन्द्र कौर पत्नी मिट्ठू सिंह जाति बाजीगर निवासी वार्ड नम्बर 6, सैक्टर संख्या 12 पुरानी [illegible] हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमीत कौर पत्नी गुरमुख सिंह जाति बाजीगर निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश श्रीमान जिलाधीश, श्रीगंगानगर दिनांक [illegible].2016

उपस्थिति:-

श्री ओ. पी. [illegible], अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री राजेश कुमार, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री मोहन लाल छाबड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

श्री महावीर [illegible], राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 03.10.2016

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधिनियम की धारा 88, 92ए के तहत पेश कर कथन किया कि चक 1 एल बड़ा की मुरब्बा नम्बर 45 की 25 बीघा भूमि वादी द्वारा जरिये ईकरारनामा क्रय कर रखी है जिस पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय नहीं करें। वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सी पी सी पेश कर कथन किया कि वादी विवादित भूमि जरिये ईकरारनामा क्रय करना बता रहा है। ईकरारनामा के आधार पर हुए बयान को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। सक्षम सिविल न्यायालय को है। अतः वादी का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी/अपीलांट ने पेश कर कथन किया कि वादी ने अपने दावे में कब्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए वाद पेश किया है। वादी/अपीलांट बतौर खरीददार है। अतः प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 19.06.2018 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट ने जरिये ईकरारनामा क्रय की है। मौका पर अपीलांट का कब्जा है। वाद में जवाब दावा आने के पश्चात उस पर तनकियात कायम कर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/अपीलांट जरिये ईकरारनामा भूमि क्रय करना बता रहा है। ईकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु वादी को स्वतंत्र रखा है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि वादी/अपीलांट जरिये ईकरारनामा क्रय करना बता रहा है। ईकरारनामा के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ईकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि वादी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जो वादी/अपीलांट के पास विकल्प उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर